फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक :- 22.06.2024

थाना साइबर क्राइम/सर्विलांस टीम द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 03/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 नाइजीरिया अभियुक्त ओलाटोय ओलाडेले क्वासिम पुत्र ओलाडेले क्वासिम को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात/क्राइम **श्री जयसिंह परिहार** के नेतृत्व में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम/सर्विलांस टीम द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0- 03/2024 धारा- 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नाइजीरिया अभियुक्त ओलाटोय ओलाडेले क्वासिम पुत्र ओलाडेले क्वासिम निवासी ब्रांसस्ट्रीट लागोस, नाइजीरिया को चन्दर नगर वीर बाजार रोड थाना निहाल विहार दिल्ली से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. ओलाटोय ओलाडेले क्वासिम पुत्र ओलाडेले क्वासिम निवासी ब्रांसस्ट्रीट लागोस, नाइजीरिया उम्र करीब 29 वर्ष।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- थाना हाजा पर वादी मुकदमा डा0 अमित शुक्ला (डायरेक्टर अशोका हॉस्पीटल) पुत्र स्व0 अशोक कुमार शुक्ला निवासी 2/98बी, सधबाड़ा स्ट्रीट लोहाई रोड थाना कोतवाली फर्रुखाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 03/2024 धारा- 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित साइबर फ्रॉड के जरिये वादी की पत्नी डा0 शिवानी ने उनके पुत्र अर्नव शुक्ला की आँखों के इलाज हेतु फेसबुक पर प्राप्त विज्ञापन के माध्यम से मिले डा0 एलेक्स जे बिल लन्दन के मो0नं0 पर बात कर वादी के पुत्र की आँखों की दवाई भेजने की बातचीत की एवं तथाकथित डा0 एलेक्स जे बिल द्वारा धोखाधड़ी कर दवाई भेजने के नाम पर वादी की पत्नी डा0 शिवानी से डा0 एलेक्स जे बिल द्वारा अलग अलग बैंक खातों में कुल 3,19,000/- रूपये की साइबर ठगी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार द्वारा संपादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में तमामी विवेचना व साक्ष्य संलकन से अभियुक्त ओलाटोय ओलाडेले क्वासिम पुत्र ओलाडेले क्वासिम निवासी ब्रांसस्ट्रीट लागोस, नाइजीरिया उम्र करीब 29 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसे तथाकथित डा0 एलेक्स द्वारा दिये गये कोरियर पते में अंकित मोबाइल नं0 की लोकेशन व सीडीआर के अनुसार थाना साइबर क्राइम व सर्विलांस टीम द्वारा चन्दर नगर वीर बाजार रोड थाना निहाल विहार दिल्ली से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 मोबाइल फोन टोक्नो स्पार्क कम्पनी ग्रे कलर का जिसका **IMEI** नंबर 359696719627020, 359696719627038 सिम नंबर 8737833919 बरामद हुआ है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़।
2. उ0नि0 सुबोध यादव
3. का0 अरविन्द यादव
4. का0 अनुराग लाम्बा

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल फतेहगढ़।
2. हे0का0 करन यादव

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 22.06.2024

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी के 05 लाख रूपये सहित 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, **श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज** श्री सतेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 128/2024 धारा 379/420 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जबर सिंह पुत्र वीरेन्द्र नि0 ग्राम धमधमा पोस्ट लहरा थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ को पुलिस द्वारा दिनांक 22.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर अताईपुर जाने वाली सडक मार्ग से चोरी किये गये 05 लाख रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.जबर सिंह पुत्र वीरेन्द्र नि0 ग्राम धमधमा पोस्ट लहरा थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी नकुल शाक्य पुत्र शोहन लाल निवासी मोहल्ला नई कालोनी पाठक कोतवाली कायमगंज द्वारा थाना हाजा पर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमे वादी के पूर्व से परिचित लोडर मालिक जबर सिंह के साथ दुकान का सामान लाने के लिये लोडर से एक झोले में नगद पांच लाख रुपये रखकर बैठ गया था।रास्ते में टेढीकोन चौराहे पर पहुँच कर अचानक मुझे फ्रैश होने का दबाव महसूस हुआ तो मैं रुपयों से भरे थैले को लोडर के डेस्कबोर्ड में रख दिया और बाग में अन्दर फ्रैश होने के लिए चला गया कुछ देर बाद जबर सिंह ने फोन से बताया कि तीन अज्ञात लोग प्लेटिना मोटरसाईकिल से आये और रुपयों के थैले को लूटकर ले गये। मैं घबराकर भागकर आया तो जबर सिंह बार बार रुपये लूटने की बात कह रहा था। कुछ देर बाद 112 नम्बर की पुलिस आ गयी थी मुझे रुपये लूटे जाने की घटना पर जबर सिंह की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने कोतवाली कायमगंज पर जाकर जबर सिंह के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त जबर सिंह पुत्र वीरेन्द्र ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 21.06.2024 को मैं नकुल शाक्य की दुकान का सामान लेने के लिये अपने लोडर को लेकर सुबह 3.30 बजे टेढीकोन चौराहे पर पहुँचा तो नकुल शाक्य ने सुबह का वक्त होने के कारण फ्रेश होने के लिये कहा तो रुपये के भरे थैले देखकर मेरी नीयत में खोट आ गया और मैंने गाडी को नरसिंहपुर जाने वाले मार्ग पर ले जाकर सडक के किनारे जहाँ दोनों तरफ आम के बाग थे वहां मैंने चोरी की नीयत से रुपये के थैले को निकालकर दूसरी तरफ आम के बाग के किनारे झाडियों में छिपा दिया औऱ वापस आकर थोडी देर में नकुल शाक्य को फोन से झूठी सूचना दी कि प्लेटिना से तीन अज्ञात लोग आये औऱ रुपये के भरे थैले को लूटकर भाग गये।

अभियुक्त जबर सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 128/2024 धारा 379/420/411 भादवि0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. 05 लाख रूपये (चोरी किये गये)

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक रामअवतार कोतवाली कायमगंज
2. उ0नि0 सुनील कुमार
3. का0 नवनीत कुमार
4. का0 मनोज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

डाक कार्यालय
थाना समाधान दिवस
थाना कादरीगेट
माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार

vivo V23e 5G